



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उपकार्यालय, जम्मू / Sub-office, Jammu,

Regional Office, Chandigarh

File No 9-JKB-025/2023-Jammu

अक्टूबर/October, 2023

सेवा में/To,

प्रधान सचिव /The Principal Secretary,
वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग /Department of Forest, Ecology & Environment,
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश /UT of Jammu & Kashmir,
सिविल सचिवालय /Civil Secretariat,
जम्मू और कश्मीर /Jammu & Kashmir (csforestjk@gmail.com)

विषय /Sub: **Diversion of 1.02 ha Forest land for Construction of Road from Chilla-Danga to Kathar-Brahmana under XEN PWD(Samba), District Samba, UT of Jammu & Kashmir - regarding.**

सन्दर्भ /Ref: i) UT Admin of J&K online proposal received on 04-07-2023
ii) Nodal Officer J&K letter no. PCCF/FCA/3433/6457-58 dated 12.09.2023

महोदय /Sir,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन **1.02** हेक्टेयर वन भूमि की गैर वानिकी कार्यों के लिए अनुमति मांगी गई है।

Please refer to the above cited subject and letters seeking prior approval in accordance with section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of **1.02** ha forest land for non-forestry purpose.

2. केंद्र शासित प्रदेश के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **1.02** हेक्टेयर वन भूमि **XEN PWD(Samba), District Samba** को **चीला-डंगा से कठार-ब्राह्मणा तक सड़क के निर्माण कार्य के लिए XEN PWD(Samba), जिला-साम्बा, जम्मू और कश्मीर** के पक्ष में **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

After careful examination of the proposal of the UT Government, **In-principle** approval is hereby conveyed for diversion of **1.02** hectares of forest land in favour of **XEN PWD(Samba), for Diversion of 1.02 ha of forest land for Construction of Road from Chilla-Danga to Kathar-Brahmana under XEN PWD(Samba), District Samba, UT of Jammu & Kashmir. (Online proposal no. FP/JK/ROAD/150453/2021)** for the above-mentioned project, subject to the following conditions.

(अ/A) वे शर्तें, जिनका केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है/ **The following conditions shall be complied with before handing over the forest land by the UT Forest Department to the user agency:**

- वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।/Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।/Cost of compensatory afforestation as per CA schemes may be realized from the user agency.

I/54601/2023

- iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 1.02 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
Net Present Value (NPV) of the forest land 1.02 hectares being diverted for non-forestry purpose may be realized from the user agency, as per Ministry's directions issued vide letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 6th January 2022 and Hon'ble Supreme Court of India's Order WP(C)No. 202/1995, I.A.No. In 566, dated 30th October 2002, 28th March, 2008, 24th April, 2008 and 9th May 2008.
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://www.parivesh.nic.in/> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से **CAMPA Fund** में जमा करवाएगी।
The Net Present Value (NPV) of the forest land and all other CA levies shall be deposited through web portal of Ministry of Environment, Forest and Climate Change www.parivesh.nic.in.
- v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को **S-I Clearance** के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।
The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- vii. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट **e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)** में अपलोड की जाएगी।
The Complete compliance report will be uploaded in the e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) .

(ब/ब) वे शर्तें, जिनका केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तांतरित करने से पहले फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है/The following conditions shall be complied with before handing over the forest land by the UT Forest Department: -

- i. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

The number of trees/plants to be cut shall not in any way exceed the number shown in the proposal and no harm shall be done to the wildlife during felling of trees.

- ii. सीए योजना के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण degraded वन **Pacholi, Compartment no. 17 A, Range-Purmandal, Samba Forest Division, District Samba** पर किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over degraded forest land in **Pacholi, Compartment no. 17 A, Range- Purmandal, Samba Forest Division,**

District Samba at the cost of the user agency. The Plantation shall be done within one year from the date of issue of approval. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- iii.** केंद्र शासित प्रदेश वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले भारतीय वन सर्वेक्षण के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।

The UT Government shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation in the E-Green watch portal of FSI, before handing over of forest land to the user agency.

- iv.** वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

- v.** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

The user agency shall pay additional amount of NPV as and when increased on the order of Hon'ble Supreme Court and the UT government will ensure that the increased amount is deposited.

- vi.** इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।

The Permission will be given to this proposal for 99 years, after that permission shall be obtained from the Government of India. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or the project life, whichever is less.

- vii.** साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

No damage will be done to the adjoining forest land. Simultaneously, all efforts will be made to save adjoining forest and forest land.

- viii.** स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department, or person without approval of the Central Government.

- ix.** केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

- x.** मक निस्तारण जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites as per the scheme approved.

- xi.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है |

Any other condition may be stipulated by this regional office from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

I/54601/2023

- xii.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

- xiii.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC, guideline 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019.

- xiv.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेवारी होगी।

It will be the responsibility of the UT Government/User Agency to obtain all other prior approvals/clearances under all other relevant Acts/Rules/ Court's Rulings/instructions, etc., including environmental clearance, as applicable to this proposal.

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

After receipt of the compliance report on fulfilment of the conditions under para-2, above, final approval order shall be given under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है/ This has approval of the competent authority.

आपका विश्वासभाजन /Yours faithfully,

हस्ता /Sd/-

(राजा राम सिंह/Raja Ram Singh)

उ.व.म.नि.(के.)/DIGF (Central)

उप कार्यालय, जम्मू /Sub-office, Jammu

प्रतिलिपि/Copy to:-

- वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली।/ The IGF(ROHQ), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, Aliganj, New Delhi (ramesh.pandey@nic.in)
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) / The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF). जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश /UT of Jammu & Kashmir (pccfjkforest@gmail.com).

I/54601/2023

3. नोडल अफसर/The Nodal Officer (FCA), जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश /UT of Jammu & Kashmir (ccffcajk1@gmail.com).
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कैम्पा) / The CEO, CAMPA, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश /UT of Jammu & Kashmir (jkcampacell@gmail.com).
5. वन मंडल अधिकारी /The Divisional Forest Officer, Samba forest Division, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश/ UT of Jammu & Kashmir (dfosamba@gmail.com).
6. XEN लोक निर्माण विभाग (सांबा)/ XEN PWD (Samba) (pwdsamba@gmail.com)